संख्या-408/2025/3603/22-2-2022-17(1451)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022), दिनांक 02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार जो बाहर सैंयर गेट, थाना-कोतवाली जिला-झॉसी का निवासी है। घटना से लगभग 04 वर्ष पूर्व में हुयी कहासुनी की रंजिश में दिनांक 06.07.2007 को बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर असलम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-115/08, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, झॉसी के आदेश दिनांक 25.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2021 तक 14 वर्ष, 01 माह, 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 01 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 22.04.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी से हुई वार्ता व बन्दी की शारीरिक दशा, आयु एवं अपराध को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध कारित करने का अवसर प्रतीत होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम नयायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का अभिमत है कि घटना से लगभग 04 वर्ष पूर्व में हुयी कहासुनी की रंजिश में दिनांक 06.07.2007 को बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर असलम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे (बन्दी संख्या-619/10) पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार, निवासी जनपद-झांसी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-408/2025/3603(1)/22-2-2022-17(1451)/2022,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-408/2025/3603/22-2-2022-17(1451)/2022

दिनांकः 30 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार जो बाहर सैंयर गेट, थाना-कोतवाली जिला-झॉसी का निवासी है। घटना से लगभग 04 वर्ष पूर्व में हुयी कहासुनी की रंजिश में दिनांक 06.07.2007 को बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर असलम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-115/08, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, झॉसी के आदेश दिनांक 25.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2021 तक 14 वर्ष, 01 माह, 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 01 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 22.04.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी से हुई वार्ता व बन्दी की शारीरिक दशा, आयु एवं अपराध को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध कारित करने का अवसर प्रतीत होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम नयायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का अभिमत है कि घटना से लगभग 04 वर्ष पूर्व में हुयी कहासुनी की रंजिश में दिनांक 06.07.2007 को बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर असलम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अक्षय उर्फ अरविन्द उर्फ अच्छे पुत्र श्री बृजलाल अहिरवार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in